रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1120] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2004/पौष 10, 1926

No. 1120] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2004/PAUSA 10, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1433(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सां. का. नि. 301 तारीख, 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद सं. (xix) (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xix) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य :

"(xix) (ग) डा. एन.बी. सिंह, (इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)"
कृषि आयुक्त,
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली

[फा. सं. 19-1/2000-पीपी-I]
आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

(i) सां. का. नि. 1216 तारीख 19 अगस्त, 1971,

(ii) सां. का. नि. 478(अ), तारीख 10 अगस्त, 1976,

(iii) का. आ. 848 (अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1989,

(iv) का. आ. 528 (अ), तारीख 19 जुलाई, 1993,

(v) का. आ. 849 (अ), तारीख 20 अक्टूबर, 1995,

(vi) का. आ. 346 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 1997,

(vii) का. आ. 70 (अ), तारीख 20 जनवरी, 1998,

(viii) का. आ. 132 (अ), तारीख 24 फरवरी, 1999,

(ix) का. आ. 807 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000,

(x) का. आ. 1095 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2000,

(xi) का. आ. 12 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2001,

(xii) का. आ. 1167 (अ), तारीख 23 नवम्बर, 2001,

(xiii) का. आ. 1025 (अ), तारीख 5 सितम्बर, 2001,

(xiv) का. आ. 229 (अ)तारीख 23 फरवरी, 2004, और

(xv) का. आ. 872 (अ)तारीख 30 जुलाई, 2004

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 1433(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 namely :—

In the said Notification for item number (xix) (c) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :-

Member nominated under clause (xix) of sub-section (3) of Section 4 :

"(xix)	(c)	Dr. N. B. Singh, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Co-operation, Government of India, New Delhi.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification.)"

[F. No. 19-1/2000-PP.-I]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and subsequently amended vide:

(i) G.S.R. 1216 dated the 19th August, 1971,

(ii) G.S.R. 478 (E), dated the 10th August, 1976,

(iii) S.O. 848 (E), dated the 25th October, 1989,

(iv) S.O. 528 (E), dated the 19 July, 1993,

(v) S.O. 849 (E), dated the 20th October, 1995,

(vi) S.O. 346 (E), dated the 24th April, 1997,

(vii) S.O. 70 (E), dated the 20th January, 1998,

(viii) S.O. 132 (E), dated the 24th February, 1999,

(ix) S.O. 807 (E), dated the 6th September, 2000,

(x) S.O. 1095 (E), dated the 7th December, 2000,

(xi) S.O. 12 (E), dated the 5th January, 2001,

(xii) S.O. 1167 (E), dated the 23rd November, 2001,

(xiii) S.O. 1025 (E), dated the 5th September, 2003,

(xiv) S.O. 229 (E), dated the 23rd February, 2004 and

(xv) S.O. 872 (E), dated the 30th July, 2004

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1434(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1 डा. एन.बी. सिंह अध्यक्ष"
कृषि आयुक्त,
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली

[फा. सं. 19-3/2001-पीपी-I]
आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

(i) का. आ. 420 (अ), तारीख 30 मई, 1997,

(ii) का. आ. 71 (अ), तारीख 20 जनवरी, 1998,

(iii) का. आ. 23 (अ), तारीख 3 जनवरी, 2000,

(iv) का. आ. 972 (अ), तारीख 2 नवम्बर, 2000,

(v) का. आ. 11 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2001,

(vi) का. आ. 147 (अ), तारीख 1 फरवरी 2002,

(vii) का. आ. 1024 (अ), तारीख 5 सितम्बर, 2003, और

(viii) का. आ. 873 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2004

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 1434(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operations number S.O. 79 (E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"1.	Dr. N. B. Singh Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Co-operation, New Delhi	Chairman"

[F. No. 19-3/2001-PP-I]

AHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended vide:

(i) S.O.420(E), dated the 30th May, 1997,

(ii) S.O.71(E), dated the 20th January, 1998,

(iii) S.O.23(E), dated the 3rd January, 2000,

(iv) S.O. 972(E), dated the 2nd November, 2000,

(v) S.O.11 (E), dated the 5th January, 2001,

(vi) S.O. 147(E), dated the 1st February, 2002,

(vii) S.O.1024(E), dated the 5th September, 2003, and

(viii) S.O. 873(E), dated the 30th July, 2004.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.